




| राजस्थान | | | |
|---|---|---|---|
| हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स (हस्तशिल्प) योजनाएँ | आजीविका योजनाएँ | अन्य प्रासंगिक योजनाएँ | कोविड-19 घोषणाएँ/योजनाएँ |
| <p>विभाग: आयुक्त उद्योग कार्यालय और सचिव, हैंडलूम</p> <p>योजना 1: कारीगर पहचान पत्र योजना</p> <p>लाभार्थी: हस्तशिल्प कारीगर</p> <p>मुख्य विवरण:</p> <p>पहचान के उद्देश्य से और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कारीगरों का पंजीकरण</p> <ul style="list-style-type: none">कार्यक्रम योजना और निष्पादन के उद्देश्य से सरकार द्वारा कारीगरों के डेटा बैंक का निर्माण <p>सोर्स:</p> <p>http://industries.rajasthan.gov.in/content/dam/industries/CI/ArtisanIdentityCardScheme.pdf</p> | <p>विभाग : उद्योग विभाग</p> <p>योजना 1: बंकर वर्किंग कैपिटल के लिए नई योजना</p> <p>लाभार्थी: कार्यात्मक खादी स्पिनरों के बुनकर एवं सहकारी समितियों के सदस्य</p> <p>मुख्य विवरण:</p> <ul style="list-style-type: none">5000 रूपए की दर से आवश्यक उपकरण, और कार्यशील पूंजी का प्रावधान <p>सोर्स:</p> <p>http://industries.rajasthan.gov.in/content/dam/industries/pdf/bhunkarsangh/SKMBT_C25213071114580.pdf</p> <p>योजना 2: बुनकरों के आवास के लिए योजना</p> <p>लाभार्थी: हैंडलूम के बुनकर</p> | <p>विभाग: श्रम विभाग</p> <p>योजना 1: शुभ योजना</p> <p>लाभार्थी: महिलाएं और अविवाहित लड़कियाँ</p> <p>मुख्य विवरण:</p> <ul style="list-style-type: none">शिक्षा, शादी, कौशल विकास या अपने स्वयं के सूक्ष्म उद्यम की स्थापना के उद्देश्य से महिलाओं और अविवाहित लड़कियों को 55,000 रूपए के सहायता राशि/अनुदान का प्रावधान। <p>सोर्स:</p> <p>https://labour.rajasthan.gov.in/Schemes.aspx</p> <p>संपर्क: प्रतीक इंज़ारिया, श्रम आयुक्त 0141-2450781 (ऑफिस)</p> | <p>घोषणा: कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए, राजस्थान सरकार ने 9 विभागों से 19 योजनाओं को प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल किया है।</p> <p>इसमें शामिल है</p> <p>मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, एमएसएमई अधिनियम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री मुफ्त दवा और इलाज, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा, आदि।</p> |




| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>योजना 2: चमड़ा (लेदर) प्रशिक्षण योजना</p> <p>लाभार्थी: चमड़े के कारीगर और अन्य साक्षर (न्यूनतम शिक्षा स्तर: कक्षा VIII तक), सभी सामाजिक श्रेणियों के व्यक्ति.</p> <p>मुख्य विवरण:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 महीने- चमड़े की रंगाई और जूते, टायर और अन्य चमड़े के सामान बनाने का प्रशिक्षण• प्रशिक्षण अवधि के लिए 500 रूपए के मासिक वजीफे (भत्ते) का प्रावधान• प्रशिक्षण के बाद अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए, प्रत्येक लाभार्थी के लिए 1,000 रूपए के टूल-किट का प्रावधान <p>सोर्स: http://industries.rajasthan.gov.in/content/dam/industries/CI/LeatherTrainingScheme.pdf</p> | <p>मुख्य विवरण:</p> <p>बुनकरों को अग्निरोधक कार्य शेड के निर्माण के लिए अनुदान(सहायता राशि)</p> <p>सोर्स: http://industries.rajasthan.gov.in/content/industries/rajasthan-rajya-bunkar-sahkari-sangh-ltd-rrbss-govt--schemes.html#</p> <p>योजना 3: एकीकृत (इंटीग्रेटेड) हैंडलूम प्रशिक्षण कार्यक्रम</p> <p>लाभार्थी: हैंडलूम बुनकर, विशेष रूप से व्यक्तिगत उद्यमी (एंटरप्रेन्योर)</p> <p>मुख्य विवरण:</p> <ul style="list-style-type: none">• बुनकरों और उद्यमियों (एंटरप्रेन्योर्स) के कौशल की रंगाई / बुनाई / डिजाइनिंग, कौशल को और बेहतर करना(अपग्रेडेशन) <p>सोर्स: http://industries.rajasthan.gov.in/content/industries/rajasthan-rajya-bunkar-sahkari-sangh-ltd-rrbss-govt--schemes.html#</p> | <p>lab-comm-rj@nic.in (ई-मेल)</p> <p>https://labour.rajasthan.gov.in/ContactUs.aspx</p> | <p>सोर्स: https://www.hindustantimes.com/india-news/covid-19-rajasthan-govt-announces-additional-schemes-for-msmes/story-ZLwW3o2e1zJr5jVaK0UbrN.html</p> <p>संपर्क: संपर्क विवरण उपलब्ध नहीं है.</p> |
|--|---|--|---|




| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>योजना 3: उत्पाद विविधता योजना</p> <p>लाभार्थी : हैंडलूम कारीगर</p> <p>मुख्य विवरण:</p> <ul style="list-style-type: none">अन्य राज्यों में हैंडलूम इकाइयों और संघों का अध्ययन करने के लिए राज्य द्वारा यात्रा का प्रावधान <p>सोर्स: http://industries.rajasthan.gov.in/content/dam/industries/CI/ProductDiversificationScheme.pdf</p> <p>योजना 4: बुनकर पुरस्कार योजना</p> <p>लाभार्थी : हैंडलूम के बुनकर और बुनकर सहकारी समितियाँ</p> <p>मुख्य विवरण:</p> <ul style="list-style-type: none">पारंपरिक शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए हैंडलूम के बुनकरों और सहकारी समितियों के उच्च-गुणवत्ता वाले कार्यों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार योजना | <p>योजना 4: एमएसएमई योजना</p> <p>लाभार्थी: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)</p> <p>मुख्य विवरण</p> <ul style="list-style-type: none">राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई व्यवसाय सुविधा केंद्रों की स्थापना, एमएसएमई को समर्पित और समन्वित तरीके से सहायता प्रदान करना <p>सोर्स: http://industries.rajasthan.gov.in/content/industries/mse-portal/MSMEScheme.html#</p> <p>संपर्क: नीतू बारूपाल (नोडल अधिकारी), उप सचिव, उद्योग (जीआर 1)</p> <p>141-2227496 (ऑफिस) ds1.industries.rajasthan@gmail.com (ई-मेल)</p> | | |
|--|---|--|--|



| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>सोर्स: http://industries.rajasthan.gov.in/content/dam/industries/CI/Weavers%20Award%20Scheme.pdf</p> <p>संपर्क: अविंद्र लड्डा, संयुक्त निदेशक 0141-2227727 (ऑफिस)</p> <p>http://industries.rajasthan.gov.in/content/industries/handmadeinrajasthandepartment/contactus.html</p> | | | |
| | <p>विभाग: राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम, कौशल, रोजगार और उद्यमिता (एंटरप्रेन्योरशिप) विभाग</p> <p>योजना 1: नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम</p> <p>लाभार्थी: बुनियादी साक्षरता वाले व्यक्ति (कम से कम उत्तीर्ण कक्षा V)</p> <p>मुख्य विवरण:</p> <ul style="list-style-type: none">• प्रशिक्षुओं (ट्रेनीज़) में आत्मविश्वास जगाने | | |



| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>और उनकी कमाई क्षमता को बढ़ाने के लिए बुनियादी, अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण</p> <ul style="list-style-type: none">• राज्य सरकार को उम्मीद है कि सभी साझेदार ट्रेनर संगठन के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए 70 प्रतिशत समय और सैद्धांतिक और वैचारिक सीखने के लिए 30 प्रतिशत समय देंगे। <p>सोर्स: http://livelihoods.rajasthan.gov.in/content/dam/livelihood/RSLDC/Guidelines/RSLDC_TP_Guideline_2014-16.pdf</p> <p>योजना 2: मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना</p> <p>लाभार्थी: हैंडलूम कालीन के बुनकर</p> <p>मुख्य विवरण:</p> <ul style="list-style-type: none">• प्रशिक्षुओं (ट्रेनीज़)को डोमेन और सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से कालीन बुनाई के लिए प्रोत्साहन | | |
|--|---|--|--|



| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>सोर्स: http://www.livelihoods.rajasthan.gov.in/content/dam/livelihood/RSLDC/Schemes/MMYKY_1/Course-Content/HANDLOOM%20WEAVER-Final.pdf</p> <p>संपर्क: राजेश कुमार जैन (नोडल अधिकारी), उप महाप्रबंधक (ओआईसी वेबसाइट) 0141-2715800 (ऑफिस) rajeshjain.rslc@rajasthan.gov.in (ई-मेल) http://www.livelihoods.rajasthan.gov.in/content/livelihood/en/skill-department.html#</p> | | |
|--|---|--|--|